प्रकरण संख्या 101/2017 हीरालाल बनाम प्रदीप व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पर सुनी गयी बहस के आधार पर हम पेश शुदा दस्तावेजा गत जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल एवं रजिस्टर्ड लीज डीड की प्रमाणित प्रतियां प्रसांगिक होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा देते हैं। इसी प्रकार प्रकरण में पेश शुदा आदेश 6 नियम 17 जा. दी. के आवेदन पर सुनी गयी बहस के आधार पर उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील में संशोधन सूची से किये जाने का आदेश देते हैं तथा सूची अनुसार उक्त अंकन किया जावे। प्रकरण में हमारे द्वारा सुनी गयी मूल बहस पर वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा स्वयं यह स्वीकारोक्ति दी गयी है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में तनकियात कायम नहीं हुई हैं, न ही किसी पक्ष को सुना गया है, न ही उभयपक्षों को शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 28.03.2017 को निर्धारित जवाबुल जवाब व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर एवं उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.10.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 101/2017 हीरालाल बनाम प्रदीप व अन्य</u>

प्रकरण संख्या 101/2017 हीरालाल बनाम प्रदीप व अन्य